

# कृषि विपणन निदेशालय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

फैक्स सं 23818298, ई-मेल का पता: [dagri@sansad.nic.in](mailto:dagri@sansad.nic.in)

सं एफ 8/32/2010-डी.ए.एम./एम.आर./ 4670

दिनांक : 16-09-10

## आदेश

दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन चुनाव नियमावली, 2000 के नियम 26 की शर्तों के अनुसार विभिन्न उम्मीदवारों को अलग-अलग चुनाव चिन्ह आवंटित करने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों को निम्नलिखित चिन्ह आवंटित किए जाते हैं जो कि दिल्ली कृषि विपणन परिषद और विपणन समितियों के आगामी चुनावों में उम्मीदवारों को अपनी पसंद (वरीयता) देने के लिए है:-

क्रम. संख्या	पद के लिए चुनाव	नोटिस बोर्ड पर दर्शाये गए विवरण के अनुसार आवंटित चिन्ह
1.	दि0उ0वि0प0 के एक सदस्य के लिए	1. वायुयान 2. अल्मारी 3. कुल्हाड़ी 4. गुब्बारा 5. केला 6. चूड़ियाँ 7. टोकरी 8. बल्ला 9. बल्लेबाज 10. मोतियों की माला 11. ब्लैक बोर्ड 12. पुस्तक 13. डबल रोटी(बरेड) 14. ईंट।
2.	कू0उ0वि0स0 (रा0 म0 की मंडी), आजादपुर के दो सदस्य (लोकल सीट)	15. पुल 16. बरीफ केस 17. बुश 18. बंगला 19. केक 20. कैमरा 21. मोमबतियाँ 22. कार 23. कैरम बोर्ड 24. गाजर 25. छत का पखां 26. कोट 27. नारियल 28. कंघा 29. चारपाई 30. कप-प्लेट 31. दाव 32. डीजल पम्प।
3.	कू0उ0वि0स0 (रा0 म0 की मंडी), आजादपुर का एक सदस्य (ओपन सीट)	33. डोली 34. बिजली का खम्बा 35. लिफाफा 36. कांटा (फोर्क) 37. फ्रॉक 38. कड़ाही (फराइंग पैन) 39. गैस सिलेंडर 40. गैस का चूल्हा 41. कांच का गिलास 42. हैंगर 43. हारमोनियम 44. टोप 45. आइसक्रीम 46. प्रेस।
4.	लईसैस धारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों के लिए प्रत्येक विपणन समिति के दो सदस्य	47. जग 48. केतली 49. पतंग 50. लेडी पर्स 51. लैटर बाक्स 52. ताला-चाबी 53. मक्का 54. नंगाडा 55. टाई 56. प्रेशर कुकर 57. रेल का इंजन 58. अंगूठी 59. रोड़ रोलर 60. आरी।
5.	लईसैस धारी तौला और मापकों में से प्रत्येक विपणन समिति का एक सदस्य	61. कैंची 62. सिलाई मशीन 63. शटल 64. स्लेट 65. चम्मच।
6.	आरक्षित चिन्ह	66. स्टूल 67. मेज 68. टेबल लैम्प 69. टेलिविजन 70. टैन्ट 71. टोफी 72. वायलिन 73. बेंत 74. सीटी 75. ऊन।

उम्मीदवारों द्वारा अपनी पसंद बताए जाने और चुनाव अधिकारी द्वारा आवंटन किए जाने के संबंध में निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं:-

1. चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार केवल उपर दर्शाए गए संबंधित श्रेणी के चिन्हों में से अपनी पसंद के वरीयता क्रम में 3 विकल्प देंगे।
2. एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही चिन्ह के लिए अपनी पसंद दिए जाने के मामले में चुनाव अधिकारी द्वारा लाटरी द्वारा चिन्ह आवंटित किया जायेगा और इसी प्रकार दूसरी व तीसरी पसंद के लिए भी लाटरी द्वारा चिन्ह आवंटित किया जा सकेगा।
3. यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई पसंद आवंटन के लिए समाप्त हो जाती है तो चुनाव अधिकारी उसे विशिष्ट (संवद्ध) श्रेणी के लिए निर्धारित चिन्हों में से कोई एक चिन्ह दे देगा।
4. यदि किसी विशिष्ट श्रेणी में उम्मीदवारों की संख्या चिन्हों से अधिक है तो चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार को आरक्षित सूची में से कोई एक या किसी अन्य श्रेणी में से उपलब्ध कोई एक चिन्ह आवंटित कर दिया जायेगा।

कैलाश चन्द्र

(कैलाश चन्द्र)

निदेशक (कृषि विपणन)

दूरभाष सं0 23818601

सं एफ 8/32/2010-डी.ए.एम./एम.आर./ 4671 70 4673

दिनांक : 16-09-10

प्रतिलिपि चुनाव चिन्हों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ :-

1. उपाध्यक्ष, दिल्ली कृषि विपणन परिषद।
2. सभी विपणन समितियों के सचिवों को इस निर्देश के साथ कि वे सूचना पटों पर लगाकर इसका प्रचार करें।
3. चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारियों, कृषि विपणन निदेशालय।

कैलाश चन्द्र

(कैलाश चन्द्र)

निदेशक (कृषि विपणन)

दूरभाष सं0 23818601